

20/10/21

Form No-|||

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

अज्ञ अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

जगदीश चन्द्र पुत्र काशीराम बनाम

सरकार

नम्बर

96

सन् 2021

किस्मा मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
20.10.21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>सिम्रिता के.डी.</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/2000 दिनांक 20.10.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 22 PTD (B) में प्रार्थी के नाम चक 27 PTD की जमाबंदी सम्बत् 2076-2079 के खाता सं. 22 में</p> <p><u>जगदीश चन्द्र पुत्र काशीराम 1/2 हि</u> <u>रविदास पुत्र काशीराम 1/2 हि</u></p> <p>के स्थान पर <u>जगदीश चन्द्र पुत्र काशीराम</u> <u>3/5 हि</u> <u>रविदास पुत्र काशीराम</u> <u>2/5 हि</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>सिम्रिता के.डी.</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक 27 PTD तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् 2076-2079 के खाता सं. 22 में <u>जगदीश चन्द्र पुत्र</u> <u>काशीराम 1/2 हि</u> <u>रविदास पुत्र काशीराम</u> <u>1/2 हि</u> के स्थान पर <u>जगदीश चन्द्र पुत्र काशीराम 3/5 हि.</u> <u>रविदास पुत्र काशीराम 2/5 हि</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

